राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर
अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर
E-Mail Id - fa.ayu@rajasthan.gov.in दूरभाष–0145 2623943

क्रमांक–प.2/निदेशालय मिशन/क्रय समिति/2019–20/17327 दिनांकः 18.10.19

ई–बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से औषध परीक्षण प्रयोगशाला, अजमेर के लिए निम्नांकित उपकरणों के आपूर्ति/संस्थापन हेतु प्रतिष्ठित मूल निर्माताओं /आयातकर्ताओं/ डिस्ट्रीब्यूटर्स/अधिकृत विक्रेताओं से ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से कम्प्यूटर्स/यू.पी.एस./ए.सी. वोल्टेज स्टेबलाईजर इत्यादि क्रय किये जाने हेतु ऑनलाईन बोली आमंत्रित की जाती है।

बोली से संबंधित विवरण/शर्ते वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है तथा बोली प्रपत्र इसी वेबसाईट से नियत तिथि से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली से संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाईट health.rajasthan.gov.in/ayurved पर देखी जा सकती है। ऑन लाईन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 01.11.2019 दोपहर 1.00 बजे है।

UBN No - AYU1920GLOB00056

ह0
निदेशक
आयुर्वेद विभाग अजमेर

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर
अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर
E-Mail Id - fa.ayu@rajasthan.gov.in दूरभाष–**0145 2623943**

क्रमांक–प.2 / निदेशालय मिशन / क्रय समिति / 2019–20 / 17327 दिनांकः 18.10.19

E-BID FOR PROCUREMENT OF COMPUTERS/UPS/AC/Voltes Stablizer ETC

Cost of the Bid Form	**Rs. 500/-**
RISL Processing Fees	**Rs. 500/-**
Duration of the Bid	**1 year**
Estimated cost of Bid	**Rs. 11.79 lacs**
Bid Security Money	**Rs 23600/-**
Start Date of Bid Document	**18.10.2019 at 3.00 PM**
Pre-bid Meeting Date & Time	**23.10.2019 at 1.00 PM**
Last date of Submission of online bid	**01.11.2019 at 1.00 PM**
Last date of Submission of bid security and document	**01.11.2019 at 5.00 PM**
Date of Opening of Technical Bid	**04.11.2019 at 1.00 PM**

Last Date For Submission of Bid 01.11.2019 Up to 5.00 PM

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर
E-Mail Id - fa.ayu@rajasthan.gov.in दूरभाष–0145 2623943

तकनीकी बोली प्रपत्र

(कम्प्यूटर्स/यू.पी.एस./ए.सी. वोल्टेज स्टेबलाईजर इत्यादि के क्रय एवं आपूर्ति के लिए)

- **बोली प्रपत्र डाउनलोड प्रारम्भ दिनांक – 18.10.2019 समय – सायं 3:00 बजे से**
- **बोली प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम दिनांक – 01.11.2019 समय – दोपहर 1:00 बजे तक**
- **तकनीकी बोली प्रपत्र खोलने की दिनांक – 04.11.2019 समय – दोपहर 1:00 बजे**

क्र.सं	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरी जाने वाली सूचना
1	**बोलीदाता फर्म का पूरा नाम पता** फोन.न. ई–मेल.आई.डी	....
2	**अधिकृत व्यक्ति का नाम** **पद** **मोबाईल नं**	....
3	**बोली सम्बोधित है**	निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमर।
4	**सन्दर्भ**	कम्प्यूटर्स/यू.पी.एस./ए.सी./ वोल्टेज स्टेबलाईजर आदि के लिए जारी ई–बोली सूचना क्रमांक–प.2/निदेशालय मिशन/क्रय समिति/2019–20/17327 दिनांकः 18.10.19
5	**बोली शुल्क** डी.डी./बैकर्स चैक नम्बर दिनांक	**500/–** .... स्कैन कर अपलोड कर दिया गया है।
6	**प्रोसेसिंग फीस** डी.डी./बैकर्स चैक नम्बर दिनांक	500/– .... स्कैन कर अपलोड कर दिया गया है।
7	**बोली प्रतिभूति राशि**	23600/– .... स्कैन कर अपलोड कर दिया गया है।

1. मैं/हम .....निदेशक, निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी की गई बोली संख्या क्रमांक–प.2/निदेशालय मिशन/क्रय समिति/2019–20 /17327 दिनांक 18.10.19 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट मे दी गई उक्त बोली सूचना के अतिरिक्त बोली प्रपत्र मे अंकित सभी नियम व शर्तो को स्वीकार करने से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये है। **(बोलीदाता द्वारा ई–बोली तकनीकी बोली प्रपत्र, नियम, शर्ते एवं सूचना बोली एवं बोली की सामान्य शर्ते एवं अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।)**
2. आपूर्ति की जाने वाले उपकरणों का विवरण बोली प्रपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक– 1 में है, उनकी मात्रा को भली भांति देख लिया है, कुल उपकरणों आपूर्ति को ध्यान मे लेने के बाद ही वित्तीय दरें ऑनलाईन अंकित की गई है। दर्शाई गई उपकरणों की मात्रा में कमी एवं वृद्धि संभव है। न्यूनतम क्रय की मात्रा की गारंटी नहीं है। दर्शाई गई मात्रा के विरूद्ध आवश्यकतानुसार आपूर्ति आदेश दिए जायेंगे।

3. कार्यादेश आदेश जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि 30 दिवस के भीतर बोली नियम, शर्तों एवं आदेशों के अनुसार उपकरणों की आपूर्ति निर्धारित स्थान पर कर दी जावेगी।
4. उद्धृत की गयी दरें वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से एक वर्ष के लिये विधि मान्य है।इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर आर.टी.पी.पी. नियम 29–2(ख) एवं (झ) के अनुसार बढाया जा सकेगा।
5. बोली शर्तो पर हस्ताक्षर किये जाकर, अन्य आवश्यक सभी दस्तावेजों की मूल/प्रमाणित प्रति स्केन कर अपलोड कर दिए गए है।
6. तकनीकी बोली में निम्न विवरणानुसार प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/सहमति पत्र/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक की प्रति अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व–प्रमाणित कर स्कैन कर अपलोड करनी होगी। अपलोडिंग के दौरान कोई तकनीकी समस्या होने के फलस्वरूप यदि कोई दस्तावेज अपलोड होने से रह जाता है, तो इसके लिए निदेशालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा :–

क्रं. स.	विवरण	पृष्ठ संख्या (..... से.....)
1	कम्पनी/फर्म/संस्था/सोसायटी के मेमोरेन्डम/संविधान व रजिस्ट्रेशन की प्रति।	
2	निविदित उपकरणों का निर्माता/वितरक/अधिकृत विक्रेता होने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति।	
3	उद्योग विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स की प्रति।	
4	राजस्थान राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाई का उद्योग विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र/एस.एस.आई. के बाबत् शपथ पत्र फॉर्म बी में। आवेदन शुल्क एवं धरोहर राशि में छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र।	
5	रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर किसी भी राज्य/केन्द्र में काली सूची में (Blacklisted) न किये जाने के संबंध में शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित।	
6	नॉन कन्विक्शन **(NON– CONVICTION)** अधिघोषणा।	
7	बोली फार्म शुल्क, प्रोसेसिंग फीस व बोली प्रतिभूति राशि के डी.डी./बैंकर्स चैक की प्रति। **मूल डी.डी व बैकर्स चैक तथा बिन्दु संख्या 2, 4, 5, 11 के अंतर्गत वांछित घोषणा एवं मूल शपथ पत्र अन्तिम दिनांक 01.11.2019 समय – सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।**	
8	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTTP) अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के हस्ताक्षरित A,B,C,D एनेक्सर।	
9	निर्माता के आई.एस.आई./आई.एस.ओ अथवा अन्य गुणवत्ता से संबंधित प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो होने संबंधी घोषणा पत्र/दस्तावेज की प्रति।	
10	जी.एस.टी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति स्केन कर अपलोड करनी होगी।	
11	बोली के लिये प्रोप्राइटर के अलावा यदि अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर रखा हो, तो पावर ऑफ अटार्नी, जो कि बोली जारी होने की तिथि के पश्चात् हस्ताक्षरित किया गया हो। मूल प्रति अंतिम **दिनांक 01.11.2019 समय– सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।**	
12	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के सेक्शन 7 (2) एवं 11 के अन्तर्गत शपथ–पत्र।	
13	मैं/हम घोषणा करते है कि मैने/हमने जिन आईटमों हेतु बोली दी है, उनके संबंध में उपरोक्तानुसार संलग्न किए गये सभी घोषणा पत्र /प्रमाण पत्र/अन्य सूचना सत्य एवं पूर्णतया सही है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई है, रदद् कर दी जावे एवं हमारे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निदेशालय स्वतंत्र है। **उक्त शपथ पत्र 500/– रू के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर स्कैन कर अपलोड करना होगा।**	
14	बोली दाता केन्द्र/राज्य सरकार का उपक्रम होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति।	
15	संबंधित सामग्री में व्यापार करने हेतु पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र	

नोटः– उक्त तालिका के तहत वर्णित समस्त दस्तावेज मूल रूप से बोली की अन्तिम दिनांक 01.11.2019 को सांय 5.00 बजे तक निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर में जमा करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में तकनीकी बोली नहीं खोली जावेंगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील
नाम व पता मय दूरभाष

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर
E-Mail Id - fa.ayu@rajasthan.gov.in दूरभाष–0145 2623943

ई–बोली से सम्बन्धित नियम, शर्ते एवं सूचना
(कम्प्यूटर्स/यू.पी.एस./ए.सी./ वोल्टेज स्टेबलाईजर क्रय के लिए)

1. बोली प्रपत्रों को वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in/ sppp.rajasthan.gov.in एवं health.ayurved.rajasthan.gov.in** में से किसी भी वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस बोली मे भाग लेने वाले बोलीदाता बोली को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट मे वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करना होगा।
2. बोलियॉ विभागीय ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 01.11.2019 दोपहर 1.00 बजे तक है।
3. तकनीकी बोली दिनांक 04.11.2019 को दोपहर 1.00 बजे निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर में खोली जायेगी।
4. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
5. बोली के 2 इलेक्ट्रोनिक लिफाफे होगें:– (1) तकनीकी बोली (2) वित्तीय बोली।
6. तकनीकी बोली में वांछित दस्तावेजों की प्रतियॉ, जो कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व–प्रमाणित हो, स्कैन कर अपलोड करनी होगी।
7. वित्तीय बोली भरने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर ले कि, **अनुलग्नक–1** में वर्णित उपकरणों व उसकी मात्रा को वह निर्धारित समय में निदेशालय द्वारा दिये गये आपूर्ति आदेश के अनुसार आपूर्ति के लिए सक्षम है तथा निदेशालय द्वारा चाहे गये स्थान पर आपूर्ति करने हेतु सक्षम है।
8. बोलीदाता से अपेक्षित है कि वह ऑनलाईन बोली जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण बोली का भली–भॉति अध्ययन कर ले। इस संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु बोली सूचना की अंतिम तिथि से पूर्व तक कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विभाग किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. वित्तीय बोली (बोली दर) के द्वितीय इलैक्ट्रोनिक लिफाफे में बोली दरें ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक–2) में प्रत्येक उपकरण की आपूर्ति मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रति पैंकिग यूनिट दर अंकित की जानी है, अर्थात प्रति इकाई दर देनी है।
10. आपूर्ति किए गए उपकरण यदि निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप नहीं पाए जाते है, तो बोलीदाता स्वयं के खर्चों पर उसे बदलेगा। यदि फिर भी उपकरण निर्धारित मानक के अनुरूप उपलब्ध नहीं कराता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। बोलीदाता से परिनिर्धारित क्षति आरोपित कर नियमानुसार वसूली की जावेगी।
11. बोली प्रपत्रो हेतु आवेदन/डाउनलोड **दिनांक 18.10.2019 सांय 3.00 बजे से** किया जा सकता है।
    - बोली प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर दिनांक **01.11..2019 को दोपहर 1.00 बजे** तक जमा कराये जा सकते है। प्राप्त तकनीकी बोलीयॉ इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर के कार्यालय मे दिनांक **04.11. 2019 को दोपहर 1.00 बजे** आनलाईन खोली जावेगी। **(बोलीदाता चाहे तो उपस्थित रह सकता है।)**
    - यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है, तो अगले कार्य दिवस पर उसी समय बोलियॉ खोली जावेगी।
    - बोली से सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। सूचना ई–मेल से दी जावेगी।
    - बोली खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि सारी बोलियॉ नही खोली जा सकती है, तो अगले कार्य दिवस मे शेष बोलियॉ खोलने का कार्य जारी रहेगा।
    - तकनीकी बोलीयों मे सफल बोलीदाताओं का **वित्तीय बोली प्रपत्र** इलेक्ट्रोनिक फारमेट मे वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर कार्यालय मे खोली जावेगी। जिसके लिए निर्धारित समय एवं दिनांक बाबत् सूचना सफल बोलीदाताओ को ई–मेल से दी जावेगी। ई मेल से दी गई सूचना मान्य होगी तथा दूरभाष पर भी सूचित किया जावेगा।
11. बोली प्रपत्रो मे बोलीदाता के लिए अपेक्षित पात्रता कसौटी (Eligibility Criteria) तथा बोलीदाता की पात्रता, स्पेसिफिकेशन, आपूर्ति की अनुमानित मात्रा का विवरण, नियम एवं शर्ते बोली प्रपत्र में यथास्थान पर वर्णित है।
12. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19.11.2015 में वर्णित एम.एस.एम.ई. बाबत् प्रावधान यथावत् प्रभावी होगें एवं एम.एस. एम.ई. हेतु आरक्षित उपकरणों एम.एस.एम.ई. ईकाईयों से ही क्रय की जायेगी।
13. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र शुल्क, प्रौसेसिग फीस एवं बिड सिक्योरिटी राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के साथ निम्नांकित मूल दस्तावेज भौतिक रूप से **निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर के कार्यालय मे दिनांक 01. 11.2019 सांय 5:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है :–**

- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6 की तालिका के क्रम संख्या 7 के अनुसार बोली प्रपत्र शुल्क, प्रौसेसिग फीस एवं बिड सिक्योरिटी राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक डी.डी.।
- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6 की तालिका के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार किसी भी राज्य/केन्द्र में काली सूची में (Black Listed) न किए जाने के संबंध में रूपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जो कि नॉटेरी से प्रमाणित हो।
- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6 की तालिका के बिन्दु संख्या 13 के अनुसार रूपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र जो नॉटेरी से प्रमाणित हो।
- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6 की तालिका के बिन्दु संख्या 4 पर अंकित मूल धरोहर राशि में यदि छूट ली हो तो तत्संबंधित हेतु प्रमाण पत्र।
- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6 की तालिका के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार पावर ऑफ अटार्नी।

उक्त दस्तावेजों के निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं होने पर तकनीकी बोली नहीं खोली जाएगी। डाक/अन्य कारणों से निर्धारित समय तक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होते है, तो उसके लिए निदेशालय जिम्मेदार नहीं है।

14. वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक उदृत की गई बोली दरें स्वीकृत/अनुमोदन हेतु मान्य रहेगी। यदि बोलीदाता उस अवधि मे अपनी बोली अथवा शर्तो मे किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बोली वापस लेता है, तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
15. **किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर के पास सुरक्षित है। बोली किसी भी स्तर पर किसी भी कारण से निरस्त की जा सकती है।**
16. बोलीदाता को वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर स्वयं को रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन बोली मे भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, **इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट– 2000** के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलक्ट्रोनिक बोली में **डिजिटल साईन** करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओ के पास पूर्व मे वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।
    1. बोलीदाताओ को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट मे उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नही होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जावेगे। कोई भी प्रस्ताव व्यक्तिगत/भौतिक बोली प्रपत्र मे स्वीकार्य नही होगा।
    2. ऑन लाईन बोलियॉ निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जावेगी।
    3. इलेक्ट्रोनिक बोली प्रपत्रो को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्केन कॉपी बोली प्रपत्रो के साथ संलग्न कर दी गई है। ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज व्यक्तिगत/भौतिक रूप से स्वीकार नही किये जावेंगें । कोई भी बोली इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने मे किसी कारण से विलम्ब हो जाता है, तो इसके लिए निदेशालय जिम्मेदार नही होगा।
    4. बोली प्रपत्रो के अनुसार चाहे गये आवश्यक दस्तावेज एवं सूचियों को चाहे अनुसार पूर्ति कर ऑनलाईन अपलोड करेगे।
    5. असुविधा से बचने के लिये कृपया आवेदन हेतु अंतिम दिनांक की प्रतीक्षा नही करें ।
    6. समस्त आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही करें ।
    7. बोली फार्म शुल्क राशि 500/– रूपय का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर** के नाम से अजमेर मे भुगतान योग्य होना चाहिए।
    8. प्रोसेसिंग फीस 500/–रू0 का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक M.D., R.I.S.L. Jaipur** के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।
    9. बोली प्रतिभूति राशि रू. 23600/– रूपय का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर** के नाम से अजमेर मे भुगतान योग्य होना चाहिए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
अधिकृत प्रतिनिधि/स्वंय प्रोप्राईटर
मय सील
पूरा नाम पता :–
अधिकृत प्रतिनिधि/स्वंय प्रोप्राईटर (जो लागू नही हो काट दे)

निदेशक
निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर
अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर
E-Mail Id - fa.ayu@rajasthan.gov.in दूरभाष–0145 2623943

उकपरण आपूर्ति एवं बोली की सामान्य शर्ते

(1) **ई–बोली के माध्यम से बोली प्रस्तुत करना :–**
बोलीयॉ ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से बोली विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बोली विज्ञप्ति मे अंकित दिनांक एवं समय पर कार्यालय, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर मे उपस्थित बोलीदाता (यदि कोई उपस्थित हो) के समक्ष ऑनलाईन खोली जावेगी। बोली सम्बन्धी सभी सूचनाऐं ई–मेल से दी जावेगी, जो मान्य होगी।

(2) **बोली ई–प्रोक्योरमेन्ट से स्वीकार करनाः–**
केवल उन्ही बोलीयों पर विचार किया जावेगा जो बोली सूचना मे दिये गये निर्देशो के अनुसार उचित रूप से ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से भरी होगी तथा वांछित मूल दस्तावेज दिनांक 01.11.2019 को सायं 5:00 बजे से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय कार्यालय में जमा कराने होगें। इसके अभाव मे तकनीकी बोली नही खोली जावेगी।

- तकनीकी बोली प्रपत्र के अनुसार बोली फार्म शुल्क, प्रोसेसिंग फीस व बोलीप्रतिभूति राशि के चैक/डी.डी. आदि सभी दस्तावेज।
- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दू संख्या 6 की तालिका के बिन्दू संख्या 5 के अनुसार किसी भी राज्य /केन्द्र में काली सूची में (Black Listed) न किए जाने के संबंध में रूपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जो कि नॉटरी से प्रमाणित हो।
- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दू संख्या 6 की तालिका के बिन्दू संख्या 13 के अनुसार रूपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जो कि नॉटरी से प्रमाणित हो।
- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6 की तालिका के बिन्दु संख्या 4 पर अंकित मूल धरोहर राशि में यदि छूट ली हो तो तत्संबंधित हेतु प्रमाण पत्र।
- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दू संख्या 6 की तालिका के बिन्दू संख्या 11 के अनुसार पावर ऑफ अर्टोनी।

उक्त दस्तावेजों के निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं होने पर तकनीकी बोली नहीं खोली जाएगी। डाक/अन्य कारणों से निर्धारित समय तक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होते है, तो उसके लिए निदेशालय जिम्मेदार नहीं है।

(3) **क्रय हेतु सक्षम अधिकारीः–**
क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दरों पर बोली फार्म में अंकित उपकरणों की मात्रा के लिये क्रय आदेश जारी करने हेतु निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राधिकृत होगें।

(4) **उपकरणों का प्रदाय :–** अनुलग्नक–1 में वर्णित विवरणानुसार राजकीय आयुर्वेदिक औषध परीक्षण प्रयोगशाला, पुष्कर रोड, अजमेर पर करना होगा। अतः बोलीदाता उपकरणों की आपूर्ति की प्रति इकाई दर वित्तीय बोली में उक्त को ध्यान में रखते हुए ऑनलाईन अंकित करें।

नोटः–

(1) दरें सभी प्रकार के खर्चो जैसे भाड़ा, पैकिंग, मजदूरी, चुंगी एवं अन्य व्यय आदि सहित अंकित की जावें, किन्तु कर जो लागू हो, उन्हें अलग से निर्धारित कॉलम में ही अंकित करे।
(2) आदेशित उपकरणों को निर्धारित स्थान पर पहुॅचाने का समस्त खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा।
(3) माल पहुॅचाने व उतरवाने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।
(4) यदि बोलीदाता वित्तीय बोली मे ऑनलाईन दरों के साथ किसी प्रकार का कर (जी.एस.टी.) का निधारित कालम में अंकन नहीं करता है, तो दरें कर सहित मानी जावेगी। ऐसी स्थिति में वित्तीय बिड का मूल्यांकन करते समय निविदादाता को अपनी दरों में से GST को पृथक से बताना होगा। वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन RTTP Rule 2013 के नियम 65 व 67 के अनुसार होगा।

(5) **बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरों की वैधताः–**
बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरें, वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक निर्णय हेतु वैध होगी। इस अवधि में अनुबंध एक साथ अथवा विभाजित कर एक से अधिक बार निदेशालय की सुविधानुसार संपादित किया जा सकेगा एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध करने को बाध्य होगा।

(6) **बोली की अवधि :–**
अनुमोदित/स्वीकृत दरो की वैधता अवधि, दर अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी।

(7) **बोली के साथ बोली विज्ञप्ति के अनुसार तैयार डी.डी./बैकर्स चैक स्कैन कर अपलोड करना :–**

बोली विज्ञप्ति अनुसार बोली के प्रत्येक भाग की बोली राशि पृथक–पृथक निम्नांकित किसी एक प्रारूप में ई–बोली भरते वक्त स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है। बोली राशि के अभाव में प्राप्त बोली पर कोई विचार नही किया जावेगा। बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर के नाम से ही स्वीकार्य है। प्रोसेंसिग शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रबंध निदेशक, आर.आई.एस.एल जयपुर के नाम से ही स्वीकार्य है।

नोटः–विभाग मे किसी बोलीदाता की पूर्व में जमा बोली राशि/सुरक्षा अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस बोली प्रतिभूति राशि हेतु समायोजित नही किया जावेगा।

(8) **स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतानः–**

स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतान बोलीदाता से तीन प्रतियो में बिल प्राप्त होने पर बोलीदाता को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की जावेगी। यदि बोलीदाता ड्राफ्ट द्वारा भुगतान चाहता है, तो बोलीदाता को बैंक ड्राफ्ट द्वारा नियमानुसार भुगतान की व्यवस्था भी की जा सकेगी, परन्तु ड्राफ्ट का व्यय बोलीदाता को वहन करना होगा। भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों पर बोलीदाता द्वारा **"जो अनुमोदित राशि बिल में अंकित है, इससे कम दर पर उपकरणों की आपूर्ति अनुबन्ध अवधि के दौरान नहीं की गई है"** का अंकन किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) **बोलीदाता द्वारा बोली किसी अन्य ऐजेन्सी को देनाः–**

बोलीदाता बोली किसी अन्य ऐजेन्सी को न तो Sublet करेगा और न ही सप्लाई करवाएगा।

(10) **समानान्तर बोलीः–**

विभाग को समानान्तर बोली तय करने का अधिकार RTPP Rule 2013 के नियम 29 एवं 74 के अनुसार होगा। उपलब्धता एवं आवश्यकताओं के मध्येनजर न्यूनतम दर पर अन्य फर्मो को भी क्रयादेश दिया जा सकेगा। इस हेतु मिशन द्वारा अनुमोदित एल–1 की दर के बारे में अन्य सफल बोलीदाताओं को जरिये ई–मेल सूचित किया जाकर उनके द्वारा एल–1 की दर पर आपूर्ति की सहमति प्राप्त की जावेगी। जिस बोलीदाता द्वारा दरे कम करते हुए एल–1 पर आपूर्ति की सहमति प्रदान की जावेगी, उनको समानान्तर क्रयादेश जारी किया जा सकेगा।

(11) **क्रय की मात्राः–**

क्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा जो बोली में दर्शाई गई है वह वर्तमान आवश्यकता के अनुसार है, जो केवल अनुमानित है। न्यूनतम क्रय की कोई सीमा नहीं होगी। क्रयादेश विभाग की आवश्यकतानुसार दर संविदा अवधि एक वर्ष के दौरान दिये जायेगे। क्रय समिति की सिफारिश पर बोली में अंकित मात्रा से 50 प्रतिशत तक दर संविदा अवधि के दौरान क्रय आदेश दिया जा सकता है।

(12) **गुणवत्ता की सुनिश्चितता :–**

1. आपूर्तिकर्ता आपूर्ति की जाने वाले उपकरणों की घोषणा करने हेतु बाध्य होगा।
2. आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गये उपकरणों के स्पेयर पार्टस, उनके घोषित जीवनकाल की अवधि में आवश्यकता होने पर उपलब्ध करवायेगा।
3. आवश्यकता की स्थिति में आपूर्तिकर्ता विभिग के साथ उपकरणों का ए.एम.सी. अनुबन्ध हस्ताक्षर करेगा।
4. आपूर्ति किये जाने वाले सभी उपकरण उच्च गुणवत्तापूर्ण यथा प्रमाणित तथा नवीनतम तकनीक पर आधिारित होने चाहिए।
5. गारन्टी/वारन्टी के प्रावधान नियमानुसार लागू होगें।

(13) **सामान सप्लाई की अवधिः–**

बोलीदाता को क्रयादेश निर्गमन दिनांक से 30 दिन की अवधि में उपकरणों की आपूर्ति करनी होगी। 30 वे दिन राजकीय अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को दोपहर 3.00 बजे तक आपूर्ति स्वीकार्य हो सकेगी।

यदि निर्धारित समय में बोलीदाता उपकरणों सप्लाई करने में असमर्थ रहता है, तो निम्नांकित दर से जितनी अवधि का विलम्ब हुआ है, जॉब के कीमत के आधार पर परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) के रूप में, न कि दण्ड के रूप में राशि वसूल की जावेगी।

(क)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 अवधि तक की देरी पर	2.5 प्रतिशत
(ख)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 भाग की अवधि तक देरी पर	5 प्रतिशत
(ग)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/2 भाग से अधिक लेकिन 3/4 भाग की अवधि तक की देरी पर	7.5 प्रतिशत
(घ)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 3/4 भाग से अधिक लेकिन कुल अवधि के बराबर की अवधि तक की देरी पर	10 प्रतिशत

सामान्यतः क्रयादेश निर्गम की दिनांक से 30 दिन के पश्चात माल स्वीकार नहीं किया जावेगा। विशेष परिसिथतयों में यदि प्रदायकर्ता उचित बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना

चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह इसके लिए निवेदन बाधा उत्पन होने पर तुरन्त उसी समाय करेगा। यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणो से हुई है, तो सुपुदर्गी अवधि मे वृद्धि परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) सहित या रहित भी की जा सकेगी। केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की राय से उचित कारणों पर सम्पूर्ण जॉब के मूल्य पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) वसूल कर उपकरणों स्वीकार्य की जा सकेगी।

नोटः– निर्धारित अवधि 30 दिवस में सप्लाई करने में असमर्थ हो तो आपूर्ति में बाधा उत्पन होने की तिथि से 3 दिवस के भीत्तर अवगत करावें , ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

(14) <u>आदेशित आपूर्ति के अभाव मे बोलीदाता की जोखिम एवं लागत पर क्रय करना :–</u>

1. बोलीदाता द्वारा क्रयादेश की आपूर्ति निर्धारित अवधि मे या शर्त संख्या 13 के अध्यधीन बढी हुई अवधि मे आपूर्ति करने मे असफल रहता है या सैम्पल क्वालिटी स्टैण्डर्ड व स्पेशिफिकेशन के अनुरूप आपूर्ति नहीं पाई जाने पर ऐसी असफल आपूर्ति के लिए आदेशित अधिकारी को यह मानने का पर्याप्त कारण है कि अपूर्ण आपूर्ति हुई है, बोलीदाता समस्त स्टेशनरी आईटम की आपूर्ति मे असफल रहा है तथा सुरक्षा राशि जब्त करने/10 प्रतिशत परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) आरोपित के आदेश दे सकेगा।
2. आपात स्थिति में अपवाद स्वरूप निदेशालय/क्रेता अधिकारी के पास यह विकल्प सुरक्षित है कि वह अपूर्ण आपूर्ति की गई उपकरण को बोलीदाता की जोखिम व लागत पर केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के माध्यम से क्रय कर सकेगे, जो बोलीदाता को मान्य होगी। इस बिन्दु पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार नही होगा।
3. निर्धारित समयावधि में विशेष परिस्थितियों में वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् भी यदि कोई बोलीदाता द्वारा उपकरणों की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो दोषी फर्म को नियमानुसार ब्लैक लिस्टेड/आगामी निविदाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम 3 वर्ष हेतु विवर्जित (Debar) किया जा सकेगा। इसमें किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

(15) <u>प्राईस फॉल क्लोजः–</u>

दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड, दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रिया विधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी राज्य में किसी अन्य को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाऐं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय–वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए 15 दिवस का समय देते हुए संसूचित की जावेगी। यदि कोई संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

यदि बोली अवधि में बोलीदाता अनुमोदित दरों को कम करता है अथवा उसी प्रकार के माल को कम दर पर अन्य किसी को बेचता है, तो उसे निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर को इस प्रकार की दरों में कमी एवं कम दरों पर बेचे गये माल की सूचना देनी होगी तथा जिस दिनांक से दरों में कमी की गई है, उसी दिनांक से निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर को दिये गये सामान की कीमत भी कम दर से लगानी होगी। **अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य किसी को माल नहीं बेचने का प्रमाण–पत्र बोलीदाताओं को बिल में अंकित करना होगा।**

बोली अवधि में या उसके बाद भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर बोलीदाता द्वारा प्राईस फॉल क्लोज शर्तो की पालना नही की गई है, तो फर्म बोलीदाता द्वारा मिशन से प्राप्त अधिक राशि सूचित करने के बाद जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा। प्राप्त अधिक राशि जमा नही कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(16) <u>सुरक्षा राशि जमा कराना तथा अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करनाः–</u>

भण्डार क्रय समिति द्वारा स्वीकृत वस्तुओं की सूचना मिलने पर बोलीदाता को पत्र निर्गमित होने के 15 दिन के अन्दर नियमानुसार अपेक्षित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर **एस. आर. 17** में अनुबन्ध करना होगा तथा 15 दिन के भीतर निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति आदेशित मूल्य के 10 प्रतिशत निम्न में वर्णित किसी भी एक प्रारूप में निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर को जमा करानी होगी :–

1. डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर के नाम हो।
2. एन.एस.सी. (फर्म के नाम से क्रय की गई हो) जो निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर के नाम प्लेज्ड हो।

<u>नोटः–</u>

1. अनुबन्ध सम्पादित नहीं करने की स्थिति में बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा।

2. पूर्व वर्षो की जमा सुरक्षा/बोली राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस हेतु नही किया जावेगा।
3. वर्तमान बोली की बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति मे बोलीदाता के पक्ष में अनुमोदित समस्त आईटमो का अनुबंध उनके द्वारा कर दिये जाने पर तथा बोली की सभी आईटमो का निर्णय हो जाने पर किया जा सकेगा।
4. यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/संस्था है, तो उसे बोली प्रतिभूति राशि व कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है, परन्तु उनको राजकीय उपक्रम होने के सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एवं Bid Security से मुक्ति हेतु घोषणा पत्र देना होगा।
5. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि किसी भी परिस्थिति में बोली प्रतिभूति राशि से कम नहीं होगी तथा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जावेगा।

(17) अस्वीकृत वस्तुएँः–

बोलीदाता द्वारा सप्लाई की गई वस्तुएँ अस्वीकृत होने पर, अस्वीकृति की सूचना निर्गमित होने की दिनांक से 10 दिन के अन्दर अस्वीकृत वस्तु को बोली दाता को स्वयं अपने खर्चे से उठा लेना होगा। निर्धारित अवधि के बाद अस्वीकृत माल को न उठाने पर उन वस्तुओ के मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह किराया बोलीदाताओ से वसूल किया जावेगा, जो अस्वीकृत वस्तुओ के मूल्य से अधिक नही होगा। वस्तु के खराब होने, टूटने फूटने आदि की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

बोलीदाता द्वारा अस्वीकृत माल की सूचना निर्गमन दिनांक से 6 माह की अवधि में माल नही उठाने पर अस्वीकृत माल नीलामी/नष्ट जैसी परिस्थितियां हो, कर दिया जावेगा एवं उससे प्राप्त हुई राशि राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

(18) सुरक्षा राशि जमा न कराने एवं अनुबन्ध पत्र भरकर न देने पर बयाना राशि जब्त करनाः–

यदि कोई सफल बोलीदाता बिन्दु संख्या 16 में दर्शाई गई अवधि में अथवा वृद्वि की गई अवधि में निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नही कराता है, एवं समस्त अनुमोदित वस्तु की आपूर्ति हेतु अनुबंध पत्र भरकर नही देता है तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस हेतु किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना बोली दाता को नही दी जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा।

नोट :–यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/संस्था है, तो उसे बोली राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है।

(19) बोली प्रतिभूति राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बोलीदाता को लौटानाः–

1. जिस बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी गई है अथवा जिसके पक्ष में किसी भी आईटम की दर स्वीकृत नहीं की गई है, तो ऐसे बोलीदाता की बोली राशि पूर्ण निर्णय अथवा बोली खोलने की तिथि के 3 माह पश्चात जो भी देरी से हो, लौटाई जा सकेगी, यदि संबंधित बोलीदाता के विरूद्ध कोई राशि बकाया न हो।
2. यदि किसी बोलीदाता के विरूद्ध किसी प्रकार की राशि बकाया नही हो तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आदेशित आपूर्ति को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिनांक से 3 माह बाद लौटाई जा सकेगी। बोलीदाता के विरूद्ध कोई राशि बकाया निकली तो बोलीदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे से ऐसी वसूली करते हुये शेष रही सुरक्षा राशि लौटा दी जावेगी।
3. समस्त स्वीकृत आईटमों का बोलीदाता द्वारा बोली शर्त सं0 18 के अनुसार निर्धारित अवधि में अनुबन्ध पत्र भरने एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने पर ऐसे बोलीदाता की बोली राशि लौटा दी जावेगी। यदि बोलीदाता के विरूद्व कोई बकाया राशि नहीं निकलती है तो।

नोट :–यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/संस्था है, तो उसे बोली प्रतिभूति राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है, इसके लिए उनको घोषणा करनी होगी।

(20) राज्याधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना :–

बोली स्वीकृति हेतु अथवा बोली संबंधी किसी कार्य हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार विभाग के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना या उनके पास सिफारिश पहुँचाना, गम्भीर अपराध समझा जावेगा तथा ऐसे बोलीदाता की बोली स्वीकार नहीं की जावेगी और यदि स्वीकार हो जाती है, तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

(21) आयात लाइसेंसः–

यदि किसी वस्तु के लिये आयात लाइसेस/अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है, तो उसकी व्यवस्था करने की उत्तरदायित्व स्वयं बोलीदाता का होगा।

(22) सुरक्षित अधिकारः– निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर को अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये किसी भी वस्तु की दरें, सबसे कम दर स्वीकार न करके, उँची दरे स्वीकृत कर ले, अथवा कोई भी दर स्वीकार न करें।

(23) कानूनी विवाद क्षेत्रः–समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा **अजमेर** में स्थित न्यायालयों मे ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नही की जाएगी।

(24) बोली दरें अंकित करनाः–

वित्तीय बोली में दरें ऑन लाईन प्रपत्र में भरी जावेगी। दरों मे कर की राशि (जी.एस.टी.), जो लागू है को पृथक से दिखाना होगा।

(25) क्रय अधिमान :–

इस हेतु RTPP Rule 2013 व अधिनियम 2012 के अन्तर्गत नियम व प्रावधान प्रभावी होंगे।

(26) बोली को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रेषित की जा सकेगी।

(27) अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकारः–

1. बोली के नियम व शर्तो तथा बोली प्रपत्रो में दिये गये विवरण आदि मे निदेशक द्वारा दिया गया अर्थ एवं निर्णय अन्तिम समझा जावेगा एवं उसे बोलीदाता मानने को बाध्य होगा।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर को किसी भी बोलीदाता की बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण व निर्बाध अधिकार होगा।

(28) निजी शर्ते लगाकर बोली प्रस्तुत करनाः–

बोली शर्तो के विपरीत बोलीदाता की कोई निजी शर्त मान्य नही होगी।

(29) निरीक्षण अधिकारीः–

तकनीकी बोली खुलने के बाद उपापन संस्था यदि आवश्यक समझेगी तो सभी उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा तकनीकी बोली प्रपत्र में दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए/आपूर्ति करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए निरीक्षण करवा सकेगी/कर सकेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फर्म को तकनीकी रूप से योग्य/अयोग्य किया जा सकेगा।

(30) बोली शर्तो मे शिथिलता करने का अधिकारः–

बोली शर्तो मे शिथिलता करने हेतु केवल निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर में शक्तियां निहित है।

(31) तकनीकी बोली, बोली का भाग होगा। तकनीकी बोली में वांछित दस्तावेज उसी क्रम मे संलग्न करे, जिस क्रम मे बोली मे अंकित है। संलग्नक पर वही क्रम संख्या भी अंकित करें।

(32) ई–बोली से सम्बन्धित नियम शर्ते एवं सूचना बोली का भाग है।

(33) राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurment Rules 2013) के प्रावधानो के अन्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.2013 के अनुसार Annexures A, B, C, D भी बोली एवं अनुबंध का भाग है, जो कि संलग्न है।

(34) उपरोक्त शर्तो के अलावा अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के अनुसार होगी।

(35) यदि बोलीदाता द्वारा गलत, कूटरचित अथवा तथ्य छिपाकर बोली हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हो तो, बोलीदाता की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा तथा फर्म के विरूद्व नियमानुसार आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

(36) बोली की शर्तो में किसी भी प्रकार का विरोधाभास/विवाद होने पर निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

(37) अपील :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय–III एवं नियम–2013 के अध्याय VII के प्रावधान के अनुसार निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर हेतु अपील अधिकारी निम्नानुसार है :–

क्रं सं	प्रथम अपील अधिकारी	द्वितीय अपील अधिकारी
1.	संयुक्त/उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

(1) धारा (9) के अध्यधीन रहते हुए यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कारवाई या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या यथास्थिति लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा :–

- परन्तु बोली लगाने वाले की सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसने उपापन कार्यवाही में भाग लिया है।
- परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहॉ उपापन संस्था वित्तीय बोली खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्याकंन करती है, वहॉ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) बिन्दु (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी, पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया गया है या नहीं, और तदानुसार आदेश पारित करेगा, जो बिन्दु (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्य होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष बिन्दु (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि बिन्दु (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी बिन्दु (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था बिन्दु (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, बिन्दु (2) के अधीन पारित आदेश की प्रति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर बोली दस्तावेज में वर्णित द्वितीय अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) बिन्दु (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त बिन्दु के अधीन द्वितीय अपील अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदानुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) द्वितीय अपील अधिकारी जिसके समक्ष अपील बिन्दु (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, यथा सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि द्वितीय अपील अधिकारी जिसके समक्ष बिन्दु (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अपील अधिकारी जिसके समक्ष बिन्दु (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जायेगा।

(8) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के परिवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन और संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस पैरा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जायेगी।

(9) **कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी :–** उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों में से संबंधित किसी विनिश्चय के विरूद्व कोई अपील नहीं होगी, अर्थात् :–

(क) उपापन की आवश्यकता का अवधारण।
(ख) बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध।
(ग) यह विनिश्चय कि बातचीत की जाये या नहीं।
(घ) उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण।
(ड़) गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

(10) **अपील का प्रारूप** –

(क) बिन्दु (1) या (4) के अधीन यदि कोई अपील संलग्न प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।

(ख) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गई है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(ग) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

(11) **अपील फाइल करने के लिए फीस** –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी भी अधिसूचित बैंक के मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

(12) **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी :–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा, और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारो की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात् संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप बिन्दु (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

(38) निर्मित उपकरणों की आपूर्ति बोलीदाता द्वारा की जावेगी किसी एजेन्सी के माध्यम से आपूर्ति स्वीकार नहीं होगी।

(39) उपकरणों की अनुमानित मात्रा व अन्य विवरण अनुलग्नक–1 में वर्णित है। इसमें कमी/बेशी का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर का होगा। वित्तीय बिड में दी गई दर क्रयादेश की मात्रा व आपूर्ति स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होगी।

(40) बोलीदाता द्वारा दी गई व स्वीकार की गई वित्तीय बोली की दरें एक वर्ष तक विधि मान्य होगी तथा इसमे किसी भी कारण से कोई दर वृद्वि देय नहीं होगी।

(41) सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।

(42) वित्तीय बोलीयों में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार RTPP Rule 2013 के नियम 64 के अनुसार होगा।

(43) <u>भुगतान प्रावधान</u> :–

(1) बोलीदाता को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

(2) आपूर्तिकर्ता को आदेशित उपकरणों की निर्धारित एवं अंकित विशिष्टियों के अनुसार ही आपूर्ति करना अपेक्षित है। निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में सप्लायर को अस्वीकृत माल को नये स्टॉक से बदलना होगा।

(3) आपूर्ति किए गए माल की जांच उपरान्त एवं निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार होने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

(44) माल का भुगतान, इस हेतु गठित कमेटी द्वारा माल स्वीकार किये जाने के पश्चात् किया जावेगा। प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का क्लेम मान्य नही होगा।

(45) सफल बोली को स्वीकार किया जाना :–

आर.टी.पी.पी. नियम 70 के प्रावधानों के अनुसार बोली मूल्यांकन समिति सफल बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का निर्णय करेगीं।

निदेशक
निदेशालय आयुर्वेद विभाग
अजमेर

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों, बोली सूचना व उसकी नियम, शर्तों का अध्ययन कर लिया है व अच्छी तरह समझ लिया है। सभी शर्तों से सहमति बतौर नीचे हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर बोलीदाता
राजकीय उपक्रम/सोसायटी का
नाम मय सील

क्रय किये जाने वाले उपकरणों की तकनीकी विशिष्टियां एवं मात्रा का विवरण
औषध परीक्षण प्रयोगशाला अजमेर हेतु

SN	Item name	Quantity	Description
1	10 kva Online UPS-	1 Pc	* 10 kva online UPS on wheels with batteries, battery stand & onsite installation * 3 phase in- single phase out 30 minutes battery backup with full load * Voltage regulation feature Protection from HIGH/ Low voltage and overload Digital display Renowned company and batteries
2	Personal computers - with b/w printers cum scanners.	5 Pcs	*RAM- 8GB DDR 3 Processor i5 intel processor Hard drive 1 TB Monitor – 21 in" LCD with HDMI PORT *DVDRW WINDOW 10 With keyboard & optical mouse/ Warranty – 3 years Computers should be of renowned company & not assembled. Supplied with UPS system with minimum 30 minutes backup. With complete installation Five b/w printers cum scanners of renowned brand.
3	Computer for HPTLC With Color Laser Printer	1Pc	Processor i7 intel processor. *RAM- 8GB DDR 3 WINDOW 10 Professional (64 Bit) Monitor – 23 in" LCD, true colour 32 bit resolution 1920x1080 pixels Graphics adaptors at least 64-MB Hard drive 1 TB **3 Serial ports (Mandatory)** *DVDRW 2 PCI slot to original mother board 4 USB ports Keyboard & optical mouse. Warranty – 3 years Computers should be of renowned company & not assembled. Supplied with UPS system with minimum 30 minutes backup.

			With one color laser printer of renowned brand.
4	2- Ton Split AC Specification With complete installation	3 Pcs	Type-2 Ton Split AC of famous brand, star rating- 3 or higher Cooling capacity nominal (k cal/hr)- 5500 Max. ambient temp 48 Degree cl. Electrical input-230V/50Hz Noise level- indoor unit- <42 db (low fan setting) Outdoor unit- <60db / Fan speed- 3 Steps. Compressor- High quality rotary type compressor Function Modes- Temperature Display / Auto / Cool /Dry with power saving mode. Air filtering unit- Dust /Anti bacteria filter / Washable plastic filters. Remote control- wireless with LCD display / Minimum 10 mtr. Distance / Full control on AC operation Refrigerant type- R-410A or other ozone friendly refrigerant as per current industry standard. Warranty- 1 year on whole AC unit and 5 Years on Compressor from date of Installation
5	1.5 Ton split Ac of Genuine brand	4 Pcs	Type 1.5 Ton split Ac of famous brand with 3 star or above Cooling capacity (kw/hr)->3500w/hr. Ambient Temp.- 45 deg Cl Compressor- Rotary type/Noise level <40 (low fan setting), <45 (high fan setting) With Dust Filter, Bacteria Filter Power source- 230v / 50 Hz Remote control- wireless with LCD display / Minimum 10 mtr. Distance / full control on AC operation. Warranty- 1 year on whole AC unit and 5 Years on Compressor from date of Installation
6	Voltage stabilizer For AC	7 Pcs	Suitable for 2 and 1.5 ton AC Input voltage- 120-300V Output voltage- 200-240V High voltage cut off – 240V Efficiency- 95 % Frequency- 50 Hz. TYPE-WALL MOUNT TYPE – high & low voltage & thermal over load protection with voltage display.

सामान्य निर्देशः–

1. उपरोक्त सभी आईटम जिनका संस्थापन किया जाना है, के सन्दर्भ में संस्थापन की लागत को शामिल करते हुये दरें प्रस्तुत की जाये।
2. ए.सी. आदि की संस्थापन की आंकलन हेतु संबंधित बोलीदाता किसी भी कार्य दिवस में संस्थापन स्थान का मौका अवलोकन कर सकते है।
3. उपरोक्त सभी आईटमस के सन्दर्भ में गारन्टी/वारन्टी के प्रावधान संबंधित कम्पनी के नियमानुसार लागू होंगे।

बोलीदाता द्वारा स्व–घोषणा

मैं/हम, घोषणा करता हूँ/करते है कि, मैंने/हमने जिन स्टेशनरी आईटमो के लिए बोली दी है, उनका/उनके, मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता हूँ/अधिकृत विक्रेता/वितरक है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक

ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का घोषणा–पत्र

(रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एवं नोटेरी से प्रमाणित)

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मेरी/हमारी संस्था .... को आज दिनांक ..... तक केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/उपक्रमों से ब्लैक लिस्टेड/प्रतिबंधित नहीं किया गया है एवं न ही काली सूची में डाला गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का कोई भी उत्पाद विगत 3 वर्ष के दौरान किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अवमानक घोषित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र

(रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एवं नॉटरी पब्लिक से प्रमाणित)

हम मैसर्स (फर्म का नाम एवं पता..... बोली में कोटेड औषधियों के संबंध में एतद् द्वारा घोषणा करते है कि हमारे उक्त उत्पादों को आज दिनांक तक किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा विगत तीन वर्षो के दौरान नकली/अवमानक घोषित नही किया गया है।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक

(आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अंतर्गत हस्ताक्षरित एनक्सर ए, बी सी एवं डी)

Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) not misrepresent or omit the misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and process of the procurement process.
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same , directly or indirectly, to any party or its property to influence the procurement process.
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
(g) disclose conflict of interest, if any ; and
(h) disclose any pervious transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited:
   a. have controlling partners/shareholders in common; or
   b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as Bidder, in more than one Bid; or
   f. the Bidder or any of its affiliates participated as consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to … ……. for procurement of ……. in response to their Notice Inviting Bids No.……. Dated …… I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we/ have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the marking of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict to interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of Bidder
Name :
Designation :
Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Joint/Deputy Secretary, Ayurved and Indian Medicine Department, Rajasthan, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary, Ayurved and Indian Medicine Department, Rajasthan, Jaipur.

Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(1) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(2) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(3) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a)determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(4) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed From along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(5) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(6) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following bases:

a. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit be shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price shall govern and the unit price shall be corrected;
b. if there in an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and
c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, words or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract. If the Supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing Quantites among more than one bidder at the time of award (in case of procurement of goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital natures, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates if the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 व 11 के अन्तर्गत घोषणा प्रमाण पत्र

मै/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 व 11 के अन्तर्गत घोषणा करता हूँ /करते है कि :–

(क) आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय स्त्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करते है।

(ख) ऐसे करों को संदत्त करने की जो बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता–दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगें।

(ग) दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नही होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होगा।

(घ) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारंभ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विर्वजन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है।

(ड़) ऐसे हित, जो पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जाये, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगें, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप ये प्रभावित करें।

(च) कोई भी अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगें।

(छ) किसी उपापन संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी या किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं करेगा।

(ज)(i) उपापन प्रक्रिया में किसी अनुचित लाभ के आदान–प्रदान में, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी रिश्वत, इनाम या दान या किसी तात्विक फायदे के किसी प्रस्ताव, याचना या स्वीकृति का या उपापन प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने का :

(ii) किसी दुर्व्यपदेशन सहित किसी लोप का, जो गुमराह करता है या गुमराह करने का प्रयत्न करता है ताकि कोई वित्तीय या अन्य फायदा प्राप्त कर सके या किसी बाध्यता से बच सके :

(iii) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, औचित्य और प्रगति का ह्रास करने के लिए किसी दुरभिसंधि, बोली छल या प्रतियोगी–विरोधी व्यवहार का :

(iV) उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ या वैयक्तिक लाभ के आशय से उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच सांझा की गयी सूचना के अनुचित उपयोग का :

(V) बोली लगाने वाले और उपापन संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी के बीच किसी वित्तीय या कारबार संबंधी संव्यवहारों का :

(VI) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्षकार या उसकी सम्पत्ति का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ह्रास या अपहानि या ऐसा करने की धमकी सहित किसी प्रपीडन का :

(Vii) किसी उपापन प्रक्रिया के किसी अन्वेषण या लेखापरीक्षा की किसी बाधा का : प्रतिषेध करने,

(झ) हित के विरोध का प्रकटीकरण करने :

(ण) अंतिम तीन वर्ष के दौरान भारत या किसी भी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्ववर्ती नियमभंग करने के संबंध में या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन के संबंध में बोली लगाने वाले के द्वारा प्रकटीकरण करने, के उपबन्ध सम्मिलित है।

(ट) अध्याय 4 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भंग की दशा में उपापन संस्था निम्नलिखित सहित समुचित अध्युपाय कर सकेगी :–

(i) उपापन प्रक्रिया से बोली लगाने वालों का अपवर्जन :

(ii) संविदा–पूर्व बातचीत की समाप्ति और बोली प्रतिभूति का समपहरण या भुनाना :

(iii) उपापन से संबंधित किसी अन्य प्रतिभूति या बन्धपत्र का समपहरण या भुनाना :

(IV) उपापन संस्था द्वारा किये गये संदायों की, उन पर बैंक दर से ब्याज सहित, वसूली :

(v) उपापन संस्था द्वारा सुसंगत संविदा का रद्दकरण और उपगत हानि के लिए प्रतिकर की वसूली

(vi) उपापन संस्था के आगामी उपापनों में, धारा 46 के अधीन तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, बोली लगाने वाले को भाग लेने से विवर्जित करना।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

शपथ पत्र 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर

(नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करते है कि, मैने/हमने जिस उपकरणों के क्रय हेतु तकनीकी बोली के साथ जो घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र/अन्य सूचना संलग्न किए गये है, वे सत्य एवं पूर्णतया सही है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई रदद् कर दी जावे एवं हमारे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए मिशन स्वतंत्र है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर बोलीदाता

करार पत्र (देखिए नियम 68)

1. यह करार पत्र आज दिनांक ..... माह ..... सन्..... को एक पक्ष के ..... (जिसे इसमें आगे **'अनुमोदित सप्लायर'** कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहॉ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासको को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर (जिसे इसमें आगे **'निदेशालय'** कहा गया है, तथा इस अभिव्यक्ति में, जंहा संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशियों को शामिल हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच समपन्न किया गया।
2. चूंकि अनुमोदित सप्लायर, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर को उसके मुख्यालय पर तथा विर्निदिष्ट स्थान पर भी, इसमें संलग्र की अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं को बोली एवं बोली की शर्तो में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम ..... में दी गयी दरों पर सप्लाई करने के लिए मिशन से सहमत हो गया है।
3. एवं चूंकि अनुमोदित सप्लायर ने रूपये की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी हैः–

(i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/चालान संख्या/बैंकर्स चैक संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा,

(ii) विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत् रहन रखकर डाकघर बचत बैंक पास बुक के रूप में,

(iii) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों/डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स/किसान विकास पत्रों या किन्हीं अन्य स्क्रिप्ट/इन्स्टूमेंट्स के रूप में, यदि इन्हें संबंधित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किए जाएंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता हो तथा उसे विभागीय प्राधिकारियों को औपचारिक रूप में हस्तांतरित कर दिया गया है।

4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी हैः–

(i) इसमें संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर ..... के मार्फत मिशन द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित सप्लायर ..... में तथा बोली एवं बोली की शर्तो में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं की विधिवत् सप्लाई करेगा।

(ii) निविदा सूचना संख्या दिनांक ..... से संलग्न खुली बोली हेतु बोली एवं बोली की शर्तो में तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तो को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगीं।

(iii) बोलीदाता से प्राप्त पत्र में संख्यायें ..... तथा मिशन द्वारा जारी किए गए पत्र के भाग के रूप में होगें।

4.(क) मिशन एतद् द्वारा स्वीकार करता है कि, यदि अनुमोदित सप्लायर उक्त वस्तुओं की उपर्युक्त तरीके से विधिवत् सप्लाई करेगा, उक्त शर्तो का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो निदेशालय ..... के माध्यम से अनुमोदित सप्लायर को उक्त शर्तो में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या भुगतान करवाएगी।

(ख) भुगतान की विधि नीचे वर्णन किए गए अनुसार होगी :–

1. माल का भुगतान जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तथा इस हेतु गठित कमेटी द्वारा माल स्वीकार किये जाने पश्चात् किया जावेगा।
2. प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का क्लेम मान्य नही होगा।

5. माल की सुपुर्दगी सप्लाई देने हेतु आदेश की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी।

क्रम संख्या	**मदों की संख्या**	**सुपुर्दगी अवधि**
उपकरण	**बोली दस्तावेज एवं कार्यादेश के अनुसार**	**30 दिन**

6.(1)(i) यदि परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो, सप्लाई न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों के आधार पर वसूली की जाएगी :–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5%
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए	7.5%
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

टिप्पणी :

(i) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।

(ii) स्वीकार की गयी परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(iii) यदि सप्लयार किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने वो सप्लाई आदेश दिया था, किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा, न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि माल की सप्लाई में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ जो निविदाता के नियत्रंण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।

7. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न निदेशालय द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा निदेशालय का निर्णय अन्तिम होगा।

इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक ..... माह ..... सन् ..... को अपने हस्ताक्षर किए।

अनुमोदित सप्लायर के हस्ताक्षर

दिनांक :
साक्षी सं. 1
साक्षी सं. 2

निदेशालय के लिए एवं उनकी ओर से
पदनाम

दिनांक:
साक्षी सं. 1
साक्षी सं. 2

(For MSME Units only)

Form B
Format of Affidavit
(See clause 11)

I ..... S/o ..... Aged ..... Yrs. ..... residing at ....Proprietor/Partner/Director of M/s ..... do hereby solemnly affirm and declare that :

(a) My/Our above noted enterprise M/s ..... has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part - II by the District Industries Center ..... The acknowledgement No. is ..... dated ..... and has been issued for manufacture of following items:

Name of Item Production Capacity (Yearly)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(b) My/Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part - II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/Our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Place:
Date :

Signature of Proprietor/ Director
Authorized Signatory with
Stamp and date